RESEARCH PAPER | Social Science | Volume : 6 | Issue : 4 | April 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्याँकन

Chhatisgarh Rajya Me Aadimajati, Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Ke Arthik Vikas Hetu Rajya Sarkar Dwara Sanchalit Yojanao Ka Mulyankan

KEYWORDS

Dr. Santosh Rai	Dr. R.P. Agrawal
Research Scholar, Sec-10, Bhilai, Chhattisgarh	Pandit Ravishankar University, Raipur (C.G.), Associate professor (Commerce), kalyan Snakottar Mahavidhyalay, Bhilai, Sector-7

ABSTRACT प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्याँकन पर आधरित है। किसी भी राज्य के सर्वांगिण विकास हेतु सभी वर्गो का विकास आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ बैगा, कमारख हिल कोरबा, विरहोर, अबूझमाड़िया निवास रत है। छ.ग. शासन की आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की कई विभागिय योजनाए है। परन्तु इनके विकास एंव परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं समाजिक विकास की योजनाओं को संचालित करने में संघर्ष करना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज छ.ग. के विकास हेतु छत्तीसगढ़ शासन का आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग ने विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास हेतु प्रयासरत् है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं उद्योग, उर्जा एवं इस्पात पर आधारित है। वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। विगत कुछ वर्षो में छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से हुआ छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहर रेल मार्ग से जुड़े हुए है। छत्तीसगढ़ को देश का ह्रदय प्रदेश भी कहा जाता है। धान का कटोरा एवं प्राकृतिक विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत से भरपूर छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है।

विभागिय योजनाए :– छत्तीसगढ़ राज्य के आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित

योजनाएँ

1 सरस्वती सायकल प्रदाय योजना
2 राज्य छात्रवृत्ति (प्री मेट्रिक)
3 मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति
5 छात्रगृह योजना
6 विद्यार्थी कल्याण योजना
7 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन
8 निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय
9 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति
10 अशासकीय संस्थाओ को अनुदान
11 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र
12 प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना
13 निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना
14 आगमन भत्ता
15 विशिष्ट शैक्षणिक संस्थायें
16 क्रीड़ा परिसर
17 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना
18 प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र
19 छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
20 नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ
21 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम – 1989 अंतर्गत राहत योजना
22 अनुसूचित जाति, जनजाति आकस्मिकता नियम 1995
23 अस्पृश्यता निवारर्णाथ पंचायत पुरस्कार
24 अस्वच्छ धंधे का व्यवसायिकरण
25 अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार
26 गुरू घासीदास लोककला महोत्सव
27 शहीद वीर नारायण सिंह लोककला महोत्सव
28 गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार
29 शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार योजना
30 स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार
31 अभिनव योजनाऐं
32 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना

अध्यन का उद्देश्य :–

1. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ–साथ उनके आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करना।
2 राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के योगदान की जानकारी प्राप्त करना तथा साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में होने वाले सुधार की जानकारी प्राप्त करना।
3 पिछड़े इलाकों क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करना।
4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति की कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को विशेष सुविधाऐं एवं प्रोत्साहन से कितने लाभावित हुए है, कि जानकरी प्राप्त करना।
5 चलायी जा रही योजनाओं में जो कुछ कमी रह गई हो उसका तुलनात्मक अध्यन पूर्व की स्थिति और वर्तमान स्थिति में परिवर्तन द्वारा आंकलन करना।
6 अगर संभव हो उसके तो उन कमियों को दूर करने के उपाय प्रस्तुत करना ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से संचालित की जा सकें।
7 आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ऋण प्राप्त करने को अधिक सुविधाजनक बनाना ताकि कम से कम दस्तावेजों के जरिये शीघ्रता से उचित राशि, उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके

अध्यन की परिकल्पना :–

1 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ऋण प्राप्ति की प्रक्रियां की जानकारी इस वर्ग के सभी छात्र–छात्राओं को दी जाए, जिससे इस वर्ग को उसका सहीं लाभ मिल सकें।
2 वर्तमान में तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में योजनाओं का समुचित प्रचार नहीं किया गया हैं, जिसके कारण विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की सही व विस्तृत जानकारी लोगों को नहीं पा रही है।
3 आयोग एवं विभाग द्वारा उपर्युक्त हितग्राही को लाभ पहुंचाने हेतु अपनायी जाने वाली चयन प्रक्रियां में कुछ सुधार आवश्यक है, जिससे गलत लोग इसका फायदा न उठा सके।
4 सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से महिलाओं एवं बच्चों का जीवन स्तर में सुधार आया है एवं निरन्तर विकास की ओर अग्रसर है।
5 ऋण अनुदान किस हितग्राही को प्राप्त होना चाहिए और वह रकम कितनी हो उसका सही मूल्यांकन करना आवश्यक है।
6 सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का लाभ अधिक से अधिक आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्राप्त हो, उस लाभ को प्राप्त करने की पात्रता का निर्धारण करना।

निष्कर्ष :–

1 वर्तमान में आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का पता चल पायेगा।
2 अध्यन से सरकार की नीतियों की सफलता का पैमाना जानने में सहायता होगी।
3 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वर्गो के लोगों को प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सरलता से उपलब्ध हो पायेगी तथा अनुदान राशि में वृद्धि भी सभंव हो पायेगा।
4 राज्य, देश व विदेश में आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियो

Volume : 6 | Issue : 4 | April 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

की संस्कृति व पहनावे को प्रसिद्धी व प्रोत्साहन मिलेगा।

5 ग्रामीण क्षेत्रों के आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना संभव हो पायेगा।

6 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वर्गो के लोगों अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो पायेगा।

7 आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लघु, कुटीर व ग्रामों उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बरोजगारी दूर करने में सहायता मिलेगी।